रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220343
CG-DL-E-03072020-220343

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1939] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/ आषाढ़ 11, 1942
No. 1939] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASADHA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2020

का.आ. 2193 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2334(अ) दिनांक 03.07.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 214 (नया रारा सं. 216) के कि.मी. 0/000 से कि.मी.136/635 (कत्तिपूडि- दिगमर्रु खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण/दो लेन का बनाना आदि.,) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"19.07.2019"** को **"आंध्र ज्योति"** और **"हंस इंडिया"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 214 (नया रारा सं. 216) के कि.मी. 0/000 से कि.मी.136/635 (कत्तिपूडि- दिगमर्रु खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			**जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अई. पोलावरम				
	गांव का नाम: कोमरगिरि				
1	101	निजी	ड्राई	0.0444	पेन्मत्सा सीतायम्मा (०.११) (१०१ / १ ए)
2	101	निजी	ड्राई	0.0202	कालीढिन्दी पट्टाभिरामय्या (०.०५) (१०१ / ३ ए)
			कुल	**0.0646**	

[F. No. : RW/NH-37014/8/2013-NHDP-IVA/3D1]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2ndJuly, 2020

S.O. 2193 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2334(E) dated 03.07.2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning etc.,)

maintenance, management and operation of National Highway No. 214 (New NH No. 216) in the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 136/635 (Kathipudi-Digamarru Section) in the district of EAST GODAVARI in the State of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Andhra Jyothi*" and "*Hans India*" both dated *19.07.2019*; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 136/635 (Kathipudi-Digamarru Section) of the National Highway No. 214 (New NH No. 216) in the district of EAST GODAVARI in the State of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH		**District: EAST GODAVARI**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: I Polavaram				
	Viilage: Komaragiri				
1	101	Private	Dry	0.0444	Penmatsa Seethayamma (0.11) 101/1A
2	101	Private	Dry	0.0202	Kalidhindi Pattabhiramayya (0.05) 101/3A
			TOTAL	**0.0646**	

[F. No.: RW/NH-37014/8/2013-NHDP-IVA/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.03 19:39:44 +05:30